न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0

वाद पत्र सं0 : 66. सन 2017

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

सायल

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट 1956
बाबत खाता दुरूस्ती नाम

उपस्थित :– श्री कुलदीप खूडीया अभिभाषक, सायल
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 13.12.2017

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 6/6 के खसरा न0 319 की 11.0530हैक बारानी भूमि स्थित है जिसमें अमरसिह पुत्र बुधराम का 1/2 हिस्सा ,व प्रार्थी कुनण लाल , ओमप्रकाश हरदत निहालसिह पि0 चन्दुराम का 1/2 हिस्सा बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज है।

रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 6/6 की खसरा न0 319 की 11. 0530हैक भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम कुनणमल पुत्र चन्दुराम कतई गलत व अनुचित तौर से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम कृष्णकुमार पुत्र चन्दुराम है यही नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादभूमि में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाए सबसिडी, खाद बीज का ऋण, फव्वारा व डिग्गी का ऋण लेने में परेशानी होती है इसलिये प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड , भामाशाह कार्ड व बैक की पास बुक , मार्क सीट, सरपचं प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम कृष्णकुमार पुत्र चन्दुराम है यही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी ने तंहसीलदार नोहर को प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नाम संशोधन हेतु निवेदन किया तो कुछ दिनों तक आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कुनणमल पुत्र चुन्दराम के स्थान पर कृष्णकुमार पुत्र चन्दुराम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहसीलदार नोहर से जांच करवाई जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

Sazaidi
13.12.17

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 6/6 की खसरा न0 319 की 11.0530हैक भूमि का नामान्तकरण दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम कुनणमल पुत्र चन्दुराम कतई गलत व अनुचित तौर से दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम कृष्णकुमार पुत्र चन्दुराम है यही नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

वादभूमि में प्रार्थी का गलत नाम दर्ज होने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होती है तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाए सबसिडी, खाद बीज का ऋण, फव्वारा व डिग्गी का ऋण लेने में परेशानी होती है इसलिये प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड , भामाशाह कार्ड व बैक की पास बुक , मार्क सीट, सरपचं प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम कृष्णकुमार पुत्र चन्दुराम है यही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट के अनुसार निवेदन किया की प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में विरास्तन से ही दर्ज चला आ रहा है लिपिकीय भूल नही है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थी का नाम कुनणराम के स्थान पर कृष्णकुमार उर्फ कुनणमल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 6/6 की खसरा न0 319 की 11.0530हैक भूमि में सयुक्त खाता में प्रार्थी का नाम कुनणमल पुत्र चन्दुराम दर्ज है जो कब से दर्ज चला आ रहा है के सम्बध में साक्ष्य पेश नही किये किन्तु प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशनकार्ड , भामाशाह कार्ड व बैक की पास बुक , मार्क सीट, सरपचं प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम कृष्णकुमार पुत्र चन्दुराम है तथा तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रार्थी को नाम राजस्व रिकार्ड में कुनणमल के स्थान पर कृष्ण कुमार उर्फ कुनणमल संशोधन करने की अभिशषा की गई है।

अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र, तहसीलदार नोहर की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 6/6 की खसरा न0 319 की 11.0530हैक में सयुक्त खाता में प्रार्थी का नाम कुनणमल के स्थान पर कृष्ण कुमार उर्फ कुनणमल संशोधन किया जाता है शेष खाता यथावत रहेगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें । पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास सुनाया गया।

(सैयद शीराज अली जैदी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2017/06 दिनांक :– 4.1.18

तहसीलदार राजस्व
नोहर।

विषय :– प्रकरण संख्या 66/2017 अनवानी कृष्ण कुमार बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2017 की पालना में राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बध में ।

अनवान :–

1. कृष्ण कुमार पुत्र चन्दुराम जाति जाट निवासी ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

सायल

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनुवानी प्रकरण में दिनांक 13.12.2017 को निर्णय पारित किया जाकर रोही मोजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 6/6 की खसरा न0 319 की 11.0530हैक में सयुक्त खाता में प्रार्थी का नाम कुनणमल के स्थान पर कृष्ण कुमार उर्फ कुनणमल संशोधन आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)